जिला पंचायत/क्षेत्र समिति प्रपत्र संख्या 5
(नियम 41 देखिये)

(''डबुल साइडेड कार्बन पेपर'' पर अमिट पेन्सिल से लिखा जायेगा)

जेला परिषद् जिले के नाम सहित क्षेत्र समिति के नाम का रबड़ स्टाम्प

बही संख्या ______ रसीद संख्या 015706

मांग रजिस्टर संख्या ______ से

______ (रुपया शब्दों में)

बिल संख्या ______ के पूर्ण/आंशिक भुगतान

______ के मद्दे प्राप्त हुआ।

______ रुपया

मुख्य अधिकारी/खंड विकास अधिकारी

स्थान ______

दिनांक ______

17-18

कर-समाहर्त्ता (टैक्स कलेक्टर)

19305/- रोकड़िया

मांग तथा वसूली का प्रभारी लिपिक

कर अधिकारी।

खाकार

17/5/17

म0यू0पी0-01 जिला पंचायत-02.05.15-2000 बुक (डी0टी0पी0/आफसेट)।

जिला परिषद्/जिले के नाम सहित क्षेत्र समिति के ... का ... ______ 015700

वही संख्या ______ रसीदन संख्या ______

रसीद के अनुसार भुगतानकर्त्ता का नाम ______

रसीद के अनुसार उससे वसूल की गई धनराशि ______

रसीद के अनुसार किस मद्दे वसूल की गई ______

______

रसीद के अनुसार कर-समाहर्त्ता का नाम, जिसने ______

धनराशि वसूल की ______

इस कूपन को जमा करने वाले ______

अधिकारी का नाम तथा पदनाम

______

जिला पंचायत/क्षेत्र समिति प्रपत्र संख्या 5

(नियम 41 देखिये)

01579 19

बुल साइडेड कार्बन पेपर" पर अमिट पेन्सिल से लिखा जायेगा)

रिषद जिले के नाम सहित क्षेत्र समिति के नाम का रबड़ स्टाम्प

ख्या ——— रसीद संख्या ———

रजिस्टर संख्या ——— से

DD No 465 (रुपया/अंकों में) 1-4-017

संख्या ——— Bank of Baroda ———

——— के मद्दे प्राप्त हुआ।

——— रुपया Ramesh Kumar

मुख्य अधिकारी/खंड विकास अधिकारी

One Lakh Thirty Thousand

Labour cess

17–18

130000 कर-समाहर्त्ता (टैक्स कलेक्टर) रोकड़िया

आकार Bhagwan माग तथा वसूली का प्रभारी लिपिक

26/4/17

कर अधिकारी (राजीव अग्रवाल) कर निरीक्षक

जिला पंचायत, लखनऊ

0एस0यू0पी0-01 जिला पंचायत-02.05.15-2000 बुक (डी0टी0पी0/आफसेट)।

जिला परिषद्/जिले के नाम सहित क्षेत्र समिति के ... का रबड़ स्टाम्प

01579 19

वही संख्या ——— रसीदन संख्या

रसीद के अनुसार भुगतानकर्त्ता का नाम ———

रसीद के अनुसार उससे वसूल की गई धनराशि ———

रसीद के अनुसार किस मद्दे वसूल की गई ———

रसीद के अनुसार कर-समाहर्त्ता का नाम, जिसने ———

धनराशि वसूल की ———

इस कूपन को जमा करने वाले ———

अधिकारी का नाम तथा पदनाम

कार्यालय जिला पंचायत, लखनऊ

पत्रांक 15 /नक्शा/नि0वि0/जि0पं0/2017—2018 दिनांक 25 अप्रैल 2017

श्री रमेश कुमार
ग्राम भरवारा
विकास खण्ड—चिनहट
तहसील—सदर
जनपद लखनऊ।

जिला पंचायत, लखनऊ

आपके प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न मानचित्र पर समयक विचारोपरान्त मा0 अध्यक्ष जी के द्वारा दिनांक 20.04.2017 में मानचित्र की स्वीकृति प्रदान की गयी है।

ग्रामसभा भरवारा विकास खण्ड चिनहट तहसील सदर जनपद लखनऊ के खसरा संख्या 843 के प्लाट संख्या 22, 23 में व्यवसायिक भवन का निर्माण कार्य हेतु कुल कवर्ड एरियां 1930.45 वर्गमीटर में मानचित्र की स्वीकृति निम्न प्रतिबन्धों सहित दी जाती है।

1—प्रस्तावित भवन निर्माण प्रारम्भ करते समय तथा निर्माणाधीन अवधि में कोई भी निर्माण सामग्री मार्ग पर एकत्र न की जाये।
2—जल—मल की निकासी मार्ग की ओर न की जाये।
3—मख्य मार्ग के मध्य से बिन्दु से निर्माण स्थल की प्रतिबधित दूरी के सम्बन्ध में रोड साइड लैण्ड कन्ट्रोल रूल्स 1965 के नियम—7 यथावत् लागू रहेगें।
4—प्रतिबन्ध रहेगा कि भवन का निर्माण कार्य कुल कवर्ड एरियां 1930.45 वर्गमीटर में ही निर्माण कराया जाये।
5—चूंकि आप द्वारा व्यवसायिक भवन का निर्माण कार्य कराया जाना है, अतः अग्नि शमन व्यवस्था किया जाना अनिवार्य होगा, अन्यथा की स्थिति में स्वीकृत मानचित्र स्वतः निरस्त समझा जायेगा।
6—प्रतिबन्ध रहेगा कि दो वर्ष के अन्दर कार्य पूर्ण होने के उपरान्त कार्य पूर्ण प्रमाण पत्र कार्यालय जिला पंचायत, लखनऊ से प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगा।
7—भवन का निर्माण प्रारम्भ करने से पूर्व स्ट्रक्चरकल डिजाइन ड्रांइग बनवाकर ही निर्माण कार्य प्रारम्भ करेगें, अन्यथा की दशा में स्वयं उत्तरदायी होगे।

बिना किसी पूर्व सूचना के नक्शें/भवन में किसी भी प्रकार का परिवर्धन/परिवर्तन नहीं किया जायेगा। यदि किसी भी प्रकार का परिवर्तन/परिवर्धन भवन/मानचित्र में प्रस्तावित है, तो जिला पंचायत लखनऊ से स्वीकार किये बिना परिवर्तन/परिवर्धन नही किया जायेगा। भू—स्वामित्व एवं किसी भी प्रकार का विवाद होने की स्थिति में जिला पंचायत, लखनऊ उत्तरदायी नहीं होगी।

अनुमोदित मानचित्र किसी भी दशा में स्वामित्व का अभिलेख नहीं माना जायेगा।

अपर मुख्य अधिकारी,
जिला पंचायत, लखनऊ।

अपर मुख्य अधिकारी
जिला पंचायत, लखनऊ